इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 335] भोपाल, सोमवार, दिनांक 18 जुलाई 2011—आषाढ़ 27, शक 1933

आयुष विभाग

भारत सरकार के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष विभाग के अंतर्गत भारतीय केन्द्रीय चिकित्सा परिषद्

निर्वाचन सूचना

(नियम 7 के अंतर्गत)

भोपाल, दिनांक 18 जुलाई 2011

क्र. नि./34— चूंकि, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम 1970 की धारा 3 की उपधारा (1) के परिच्छेद (अ) के अनुसार उक्त परिषद् के लिए सदस्यों का निर्वाचन होना है, अतः परिषद् के निर्वाचन नियम, 1975 के नियम क्रमांक 7 के अन्तर्गत सूचित किया जाता है कि इस निर्वाचन का कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया गया है —

(अ) (1) उम्मीद्वारों के नामांकन पत्र निर्वाचन अधिकारी के पास स्वयं उपस्थित होकर या रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 22 जुलाई 2011 को सायं 5.00 बजे से पूर्व कार्यालयीन दिवस में (सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) पहुंच जाना चाहिए, नामांकन पत्र हेतु निर्धारित फार्म (प्रारूप – I नाम निर्देशन पत्र) निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से उम्मीद्वार या उनके प्रतिनिधि बिना मूल्य दिये प्राप्त कर सकते हैं।

(2) समयावधि के भीतर प्राप्त नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक 23 जुलाई 2011 को दोपहर 12.00 बजे प्रारम्भ होगी ।

(3) कोई भी उम्मीद्वार नामांकन पत्रों की छानबीन के पश्चात् सात दिवस के भीतर स्वहस्ताक्षर से लिखित में निर्वाचन अधिकारी को सूचना देकर अपनी उम्मीद्वारी से नाम 29 जुलाई 2011 को अपरान्ह 3.00 बजे तक वापस ले सकते हैं।

(4) निर्वाचन में खड़े होने वाले प्रत्येक उम्मीद्वार की योग्यता भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की धारा 5 में वर्णित योग्यताओं के अनुरूप होना चाहिये तथा इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01 जून 2010 प्रभावशील रहेगा।

(ब) अधिक उम्मीद्वार होने पर निर्वाचन कराने की स्थिति आने पर निर्वाचन अधिकारी के द्वारा मतदाताओं के पास मतपत्र, दिनांक 30 जुलाई 2011 सायं 5.00 बजे से पूर्व डाक से भेजे जावेंगे।

(स) मतदान दिनांक 29 अगस्त, 2011 को सम्पन्न होगा, अतः मतदान करने के इच्छुक प्रत्येक मतदाता अपने मतपत्र को फार्म–4 में दिये गये निर्देशों के अनुसार अपना/अपने मत संबंधित मतपत्र पर निर्धारित ढंग से अंकित कर या तो स्वयं उपस्थित होकर अथवा पंजीकृत डाक से इस प्रकार भेजें कि वह निर्वाचन अधिकारी के पास दिनांक 29 अगस्त, 2011 की सायं 5 बजे से पूर्व अवश्य पहुंच जाये।

(द). मतपत्रों के ऊपरी लिफाफे दिनांक 29 अगस्त 2011 को सायं 5.00 बजे के तत्काल पश्चात् खोल लिए जावेंगे ।

(ई) प्राप्त मतपत्रों की छानबीन और गणना निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में दिनांक 30 अगस्त 2011 को प्रातः 8.00 बजे प्रारम्भ होगी।

(फ) मतपत्रों के ऊपरी लिफाफे खोलने के समय और मतगणना की प्रक्रिया को देखते रहने के लिए उम्मीद्वार स्वयं या उनके लिखित अधिकार पत्र प्राप्त प्रतिनिधि वहां उपस्थित रह सकते हैं.

निर्वाचन नामावली, मतदाता सूची प्रतिदिन कार्यालयीन दिवस में प्रातः 11 से सायं 5 बजे तक बिना शुल्क निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय कक्ष क्रमांक–18, द्वितीय तल, पं0खुशीलाल शर्मा शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान, कोलार–नेहरू नगर बायपास रोड़, मैनिट के पीछे, भोपाल में और रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड के कार्यालय, 5/41, बेतवा अपार्टमेंट, भोपाल में देखने हेतु उपलब्ध रहेगी.

(डॉ0 उमेश शुक्ला)
निर्वाचन अधिकारी
वास्ते भारतीय केन्द्रीय चिकित्सा परिषद् निर्वाचन
मध्यप्रदेश राज्य, संचालनालय भारतीय चिकित्सा
पद्धति एवं होम्योपैथी

DEPARTMENT OF AYUSH
UNDER DEPARTMENT OF AYUSH MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
GOVT. OF INDIA
CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDCINE
NOTICE OF ELECTION
(See Rule 7).

Bhopal- Date 18th July, 2011

No. Nirwachan/34 – WHEREAS, election are to be held in the State of Madhya Pradesh for electing as members of the Central Council of Indian Medicine under clause (a) of sub-section (1) of section 3 of Indian Medicine Central Council Act 1970. Notice is hereby given under Rule 7 of the Indian Medicine Central (Election) Rule, 1975 that the dates for the various stages of election shall be as follows :-

(a)(i) Nomination papers may be submitted to the returning officer either personally or by registered post so as to reach him (in working days) on or before 5 P.M. on 22nd July 2011. Form of nomination paper (Nomination form) may be obtained free of cost from the returning officer in his office personally or through authorized person.

(ii) The nomination papers will be taken up for scrutiny at 12.00 P.M. on 23rd July 2011.

(iii) A candidate may withdraw his candidature by notice in writing signed by him/her and delivered to the returning officer within Seven days after scrutiny of nomination papers. i.e. – 29th July 2011 up to 3 P.M.

(iv) A candidate should satisfy the qualifications to stand for the election specified under Section 5 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970. In this relation the order passed by the Honorable. Supreme Court dated 1st June 2010 shall be effective.

(b) In the event of the election being contested, ballot papers to the elector will be sent by post by the returning officer before 30th July 2011 5 P.M.

(c) The date for the poll is fixed on 29th Aug. 2011. Every voter desirous of voting may personally deliver or send by registered post his/her ballot paper in accordance with the directions contained in Form-IV after recording his/her vote or votes in the prescribed manner, so as to reach the returning officer on or before 5 P.M. 29th Aug. 2011.

(d) The outer envelopes will be opened immediately after 29th Aug. 2011.

(e) The scrutiny and counting of votes will commence in the office of the returning officer at 8 A.M. on 30th Aug. 2011.

(f) Candidate may present or may send his representative duly authorized by him/her in writing to attend at the time the outer envelopes are opened and also to watch the process of counting.

The electoral is available for inspection, free of cost in the office of the returning officer, Room No. 18, IInd Floor Pt. K.L.S. Govt. Autonomous Ayurveda College & Institute, Nehru Nagar-Kolar Bypass Road, Behind MANIT, Bhopal on working days (11 AM to 5 PM) as well as in the office of the Registrar, Madhya Pradesh Ayurvedic Tatha Unani Chikitsa Paddhati and Prakritik Chikitsa Board, 5/41, Betwa Apartment, Bhopal.

(Dr. Umesh Shukla)
Returning Officer
CCIM Election MP

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.